



क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने,
नागौर- 341001 (राज.), ई-मेल-rorpcb.nagaur@gmail.com



RPCB/RO NGR/PUB-168/ 1329

Date: 25/08/23

M/s Smt. Nandu Kanwar W/o Sh. Bahadur Singh & Co-Applicant- Smt. Rasal Kanwar W/o Sh. Guman Singh, Smt. Prem Kanwar W/o Sh. Hari Singh, Smt. Jagmahal Kanwar W/o Sh. Madan Singh & Sh. Ranjeet Singh S/o Sh. Hukum Singh,
R/O- Village- Indawar,
Tehsil- Merta, District- Nagaur.
Email- nandukanwar813@gmail.com & rkconsultantsjodhpur@gmail.com

Sub.- Public hearing for Environmental Clearance for "China Clay Mining Cluster Projects, (M.L. No. 81/2019, 76/19, 19/18, 11/20, 95/19, 111/19, 21/14, 25/13, 17/14, 12/13, 38/13, 55/13, 5/14, 47/13, 60/13, 4/14 & 16/12) Proposed capacity of the cluster is - 9,01,132 TPA and Total Cluster Area- 61.2531 Hectare, Applied by M/s Smt. Nandu Kanwar W/o Sh. Bahadur Singh & Co-Applicant- Smt. Rasal Kanwar W/o Sh. Guman Singh, Smt. Prem Kanwar W/o Sh. Hari Singh, Smt. Jagmahal Kanwar W/o Sh. Madan Singh & Sh. Ranjeet Singh S/o Sh. Hukum Singh, M.L. No.- 81/2019, Mine Lease Area of 1.96885 Hectare, with the Proposed production capacity- 58,001 TPA (ROM), Located at Near Village- Indawar, Tehsil- Merta, District- Nagaur (Raj.).

Ref:-1. Letter no. 5193 dated 19.08.2023 issued by the District Collector, Nagaur.
2. This Office letter no. 1149-51 dated 11-08-2023.


Sir,

In reference to above it is submitted that in compliance to, District Collector, Nagaur office letter no. 5193 dated 19-08-2023 in which public hearing has been finalized on dated 03-10-2023 at 04.00 PM.

Therefore, please find enclosed a public notice to be published in one major national daily newspaper (All editions) and one regional daily newspaper (Hindi-All editions) in any case on or before 02-09-2023. The newspaper cutting are to be submitted to this office for further necessary action to conduct public hearing at **Bharat Nirman Rajiv Seva Kendra (I.T. Center), Indawar, Tehsil- Merta, Distret-Nagaur At 04.00 PM on 03.10.2023** for the environmental clearance of your project.

You are also requested to make available copies of EIA/EMP report and executive summary report in Hindi and English (with soft copies also) at various offices as mentioned in the public notice and receipt of same shall be submitted in this office.

Yours sincerely,


(Savita)

Regional Officer

Copy to following for information & necessary action:-

1. The Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur.
2. The District Collector, Nagaur in compliance to your letter no 5193 dated 19.08.2023
3. The Sub Divisional Magistrate, Merta, Nagaur.
4. Analyst Cum Programmer, RPCB, Jaipur to display public notice on website of the State Board.


Regional Officer



क्षेत्रीय कार्यालय



राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड़, पुलिस लाइन के सामने,

नागौर- 341001 (राज.), ई-मेल-rorpcb.nagaur@gmail.com

क्रमांक:- राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यू.बी.-168/1334


दिनांक: 28/08/23

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि "चाईना क्ले माइनिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट (एम.एल. नं. 81/2019, 76/19, 19/18, 11/20, 95/19, 111/19, 21/14, 25/13, 17/14, 12/13, 38/13, 55/13, 5/14, 47/13, 60/13, 4/14 & 16/12), कुल क्लस्टर क्षेत्र - 61.2531 हेक्टेयर, कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 09,01,132 TPA(ROM)" आवेदक श्रीमती नन्दू कंवर पत्नी श्री बहादूर सिंह तथा सह-आवेदक - श्रीमती रसल कंवर पत्नी श्री गुमान सिंह, श्रीमती प्रेम कंवर पत्नी श्री हरिसिंह, श्रीमती जगमहल कंवर पत्नी श्री मदन सिंह एवं श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री हुक्म सिंह (M.L. No. 81/2019), क्षेत्र- 1.96885 हेक्टेयर, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 58,001 TPA(ROM), गांव-इन्दावड़, तहसील-मेड़ता, जिला-नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि श्रीमती नन्दू कंवर पत्नी श्री बहादूर सिंह तथा सह-आवेदक - श्रीमती रसल कंवर पत्नी श्री गुमान सिंह, श्रीमती प्रेम कंवर पत्नी श्री हरिसिंह, श्रीमती जगमहल कंवर पत्नी श्री मदन सिंह एवं श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री हुक्म सिंह ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आषय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-
 1. जिला कलक्टर, नागौर।
 2. CEO जिला परिषद् नागौर।
 3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना झूंगरी, जयपुर।
 4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
 5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।
 6. उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता।
 7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर।
 8. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
 9. ग्राम पंचायत, इन्दावड़।
 10. भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर), इन्दावड़, तहसील- मेड़ता, जिला-नागौर।

अतः सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज.सु. 2023/5193 दिनांक 19.08.2023 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 03.10.2023 (मंगलवार) को दोपहर 04:00 बजे, स्थान-भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर), इन्दावड़, तहसील- मेड़ता, जिला-नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते हैं। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बन्धित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवम् अधिन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय

(सचिवी)
क्षेत्रीय अधिकारी